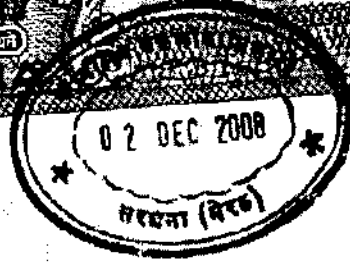




उत्तर प्रदेश UTTAR



विक्रय पत्र

- विक्रय मूल्य 48,34,256/- रुपये
- विक्रित भूमि किसी राजकीय, जनपदीय या लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है।
- विक्रित भूमि अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0 अधिनियम आवादी घोषित है तथा मुख्य मार्ग से 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। अतः आवासीय निर्धारित दर

सिपले

सिपले



Total Amount - \$100.00

- KHANBHA ROAD New Drain through Ardhmised

from G03 for 4

१. प्रमाण का विवरण सूत्र व समतुल्यता है
 २. प्रमाण का अन्वयार्थ तथा उद्देश्य लिखित
 ३. सूत्र की प्राप्ति जो निम्नलिखित है सु-
 ४. प्रमाण प्राप्त करने का तरीका

[illegible]

जिल्हो पहलान श्री *[Signature]*
 पुत्र श्री *[Signature]*
 निपासी *[Signature]*
 व श्री *[Signature]*
 पुत्र श्री *[Signature]*
 निपासी *[Signature]*

अप निदेशक
 सरगवा 7-1-09

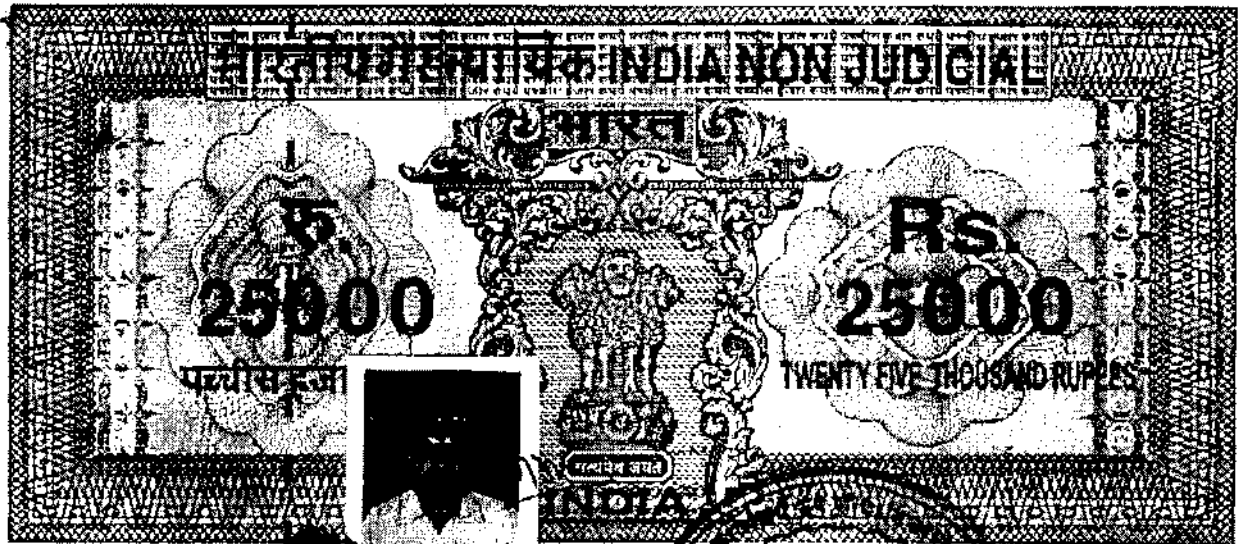
২৭/৭/২১

Sun in water

[Handwritten signature]

~~Скани~~

71/7



उत्तर प्रदेश UTTAR

Advocate
Teh. Saran (Meerut)



795408

- 2500/- रुपये प्रति वर्ग मीटर से अधिक दर पर अर्थात्
- 50,75,847/- रुपये पर स्टाम्प अदा किया जा रहा है।
- कुल देय स्टाम्प अकन 3,55,350/- रुपये
- पक्षकार भारत देश के मूल नागरिक है।
- स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 (1) का सत्यता पूर्वक पालन किया गया है।
- विक्रेता प्रथम पक्ष के परिवार के पास विक्रय की गयी भूमि सहित समस्त उत्तर प्रदेश में 18 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है।

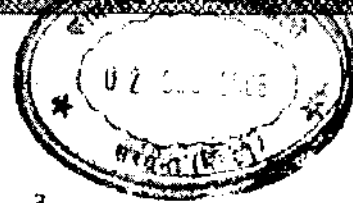
मिथलेश

Suman Lata

Amu



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



795487

3

- कंता द्वितीय पक्ष के परिवार के पास कय की गयी भूमि सहित समस्त उत्तर प्रदेश में 12,1/2 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है।
- विकित भूमि पट्टा ग्राम समाज, सीलिंग, भूदान, गर्वनमेन्ट ग्रान्ट एक्ट के अधीन दिये गये पट्टे की भूमि नहीं है।

विक्रय पत्र ओर से श्रीमती मिथलेश पत्नी श्री अनिल कुमार व श्रीमती सुमन पत्नी श्री योगेन्द्र सिंह,

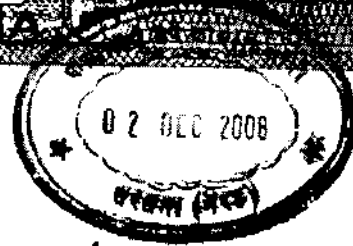
मिथलेश

Suman

अनिल



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



795486

निवासीगण ग्राम जाटौली, परगना दौराला तहसील
सरधना जिला मेरठ --- प्रथम पक्ष (विक्रेता)

एवं

मै० अंसल हाऊसिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि०, 15-यू.बी.
एफ., इन्द्रप्रकाश, 21-बारह खम्बा रोड, नई दिल्ली,
द्वारा अधिकृत श्री राजेन्द्र शर्मा पुत्र श्री सी०बी० शर्मा

मिन्वलेश

Sunam Katar

Om





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

795405

. 5 .

निवासी गली नम्बर 2, शाद नगर, पालम कालोनी, नई
दिल्ली द्वितीय पक्ष (क्रेता)

जो कि भूमि खाता संख्या 00103 के खसरा नम्बर
1609मि0, रकबा 0.2020 हे0 शून्य दशमलव दो शून्य
दो शून्य हेक्टेयर, लगान 8.80 रुपये सालाना स्थित
ग्राम जाटौली, परगना दौराला तहसील सरधना जिला

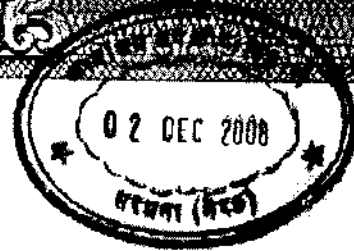
मिपलेश

Suman Lata

Om



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



795404

6

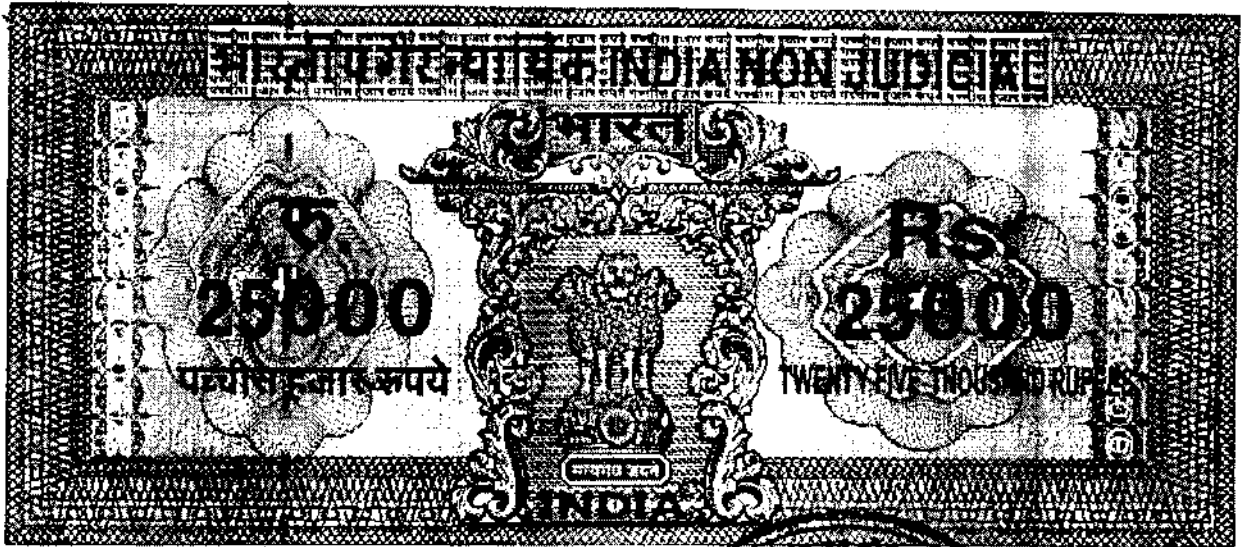
भरठ का प्रथम पक्ष व्यक्तिगत स्वामी एवं वास्तविक अधिकारी तथा संक्रमणीय भूमिधर है तथा उपरोक्त भूमि प्रथम पक्ष विक्रेतागण को ओर से आज की तिथि तक मृत्येक प्रकार के ऋण एवं भार आदि से उन्मुक्त है तथा धैधानिक त्रुटियों एवं दोषों से मुक्त एवं रहित है और प्रथम पक्ष विक्रेता उपरोक्त को भूमि को विक्रय तथा हस्तान्तरित आदि करने के समस्त स्वामित्व एवं अधिकार प्राप्त है। कोई

— निदेश

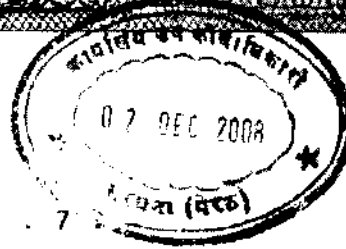
— Subin Lata

— [Signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



795403

वैधानिक त्रुटि अथवा दोष प्रथम पक्ष के विक्रय अधिकारों में बाधक नहीं है। प्रथम पक्ष ने उपरोक्त भूमि को किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था में बन्धक नहीं किया है तथा वह सभी प्रकार के भारों से मुक्त है। उपरोक्त भूमि प्रथम पक्ष के संक्रमणीय अधिकारों की भूमि है तथा उसका कोई काश्तकार शिकमी या साझी, जैली व काबिज नहीं है तथा मौके पर प्रथम पक्ष को काश्त मौजूद है। उपरोक्त भूमि के

प्रीति चेलेश

Sananta





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

795402

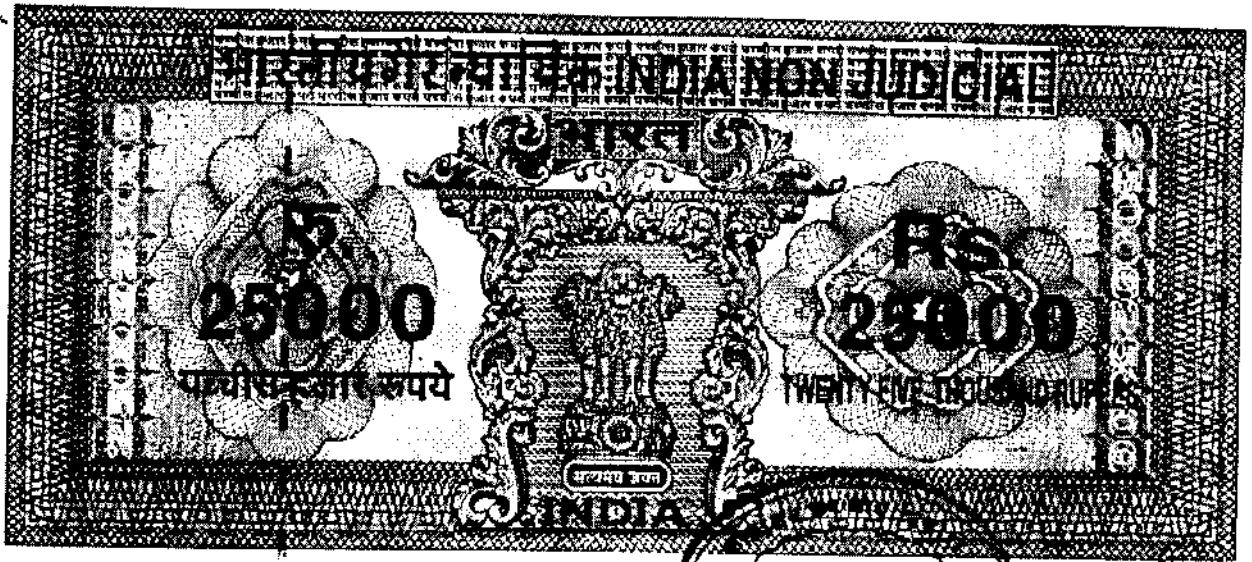
8

सम्बन्ध में आज की तिथि तक की कोई कार्यवाही
एक्ज्यूजीशन या रिक्यूजीशन आदि की किसी न्यायालय अथवा
कार्यालय में विचाराधीन नहीं है। उपरोक्त भूमि नगर भूमि
सीमारोपण अधिनियम 1976 के प्राविधानों के अन्तर्गत किसी
भी रूप में अतिरिक्त घोषित नहीं है और उसके सम्बन्ध में
धारा 10 (3) व धारा 10 (5) का कोई आदेश पारित नहीं
हुआ है। उपरोक्त भूमि का मूल्य अंकन 48,34,256/-

निष्कर्ष

Sunanda

Min



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



795401

9

अड़तालीस लाख चौतीस हजार दो सौ छप्पन रुपये तय है जो अति उचित एवं वर्तमान बाजारी मूल्य के अनुकूल है। इससे अधिक मूल्य मिलने की वर्तमान समय में कोई आशा नहीं है। प्रथम पक्ष अन्य कृषि भूमि क्रय करना चाहते हैं, इसलिये इस भूमि को विक्रय कर देना उचित समझा गया है तथा विक्रय करने से सभी प्रकार से लाभ एवं भलाई दृष्टिगत है। अतः उपरोक्त वर्णित भूमि को उससे सम्बन्धित

निदेश

Signature

Signature





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



795400

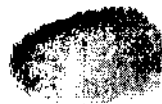
10

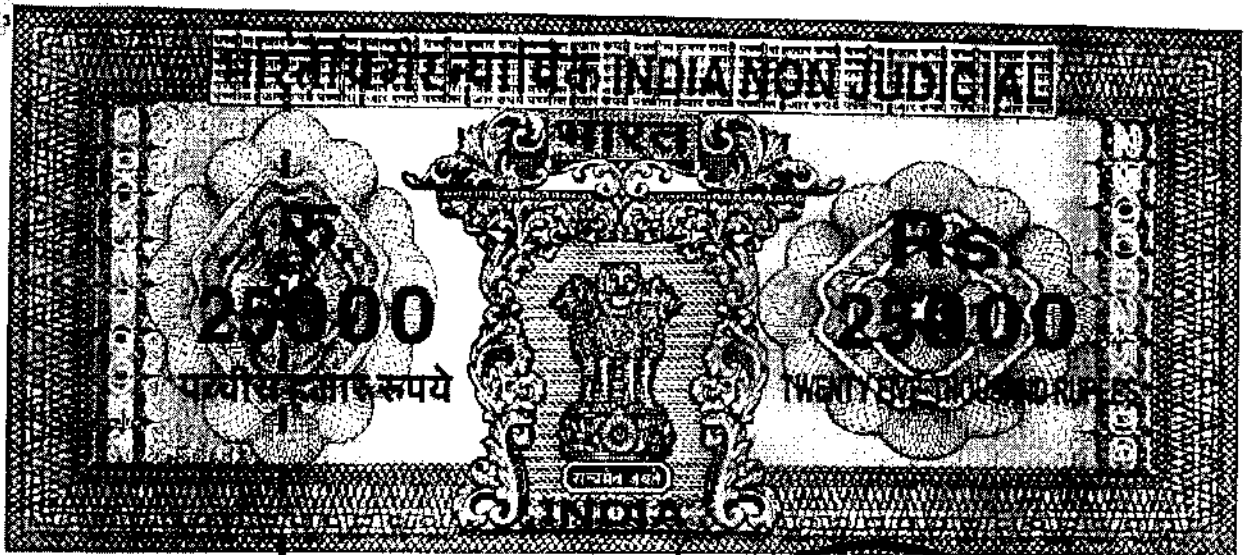
समस्त अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि सहित, बिना छोड़े हुए किसी स्वत्व एवं अधिकार के चाहे उनका वर्णन इस विक्रय विलेख में किया गया हो अथवा न किया गया हो, स्थिर मस्तिष्क एवं स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में अंकन 48,34,256/- अड़तालीस लाख चौतीस हजार दो सौ छप्पन रुपये विक्रय मूल्य के उपलक्ष्य में हस्ते मै0 अंसल हाऊसिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, 15-यू.जी.एफ.,

मिथिलेश

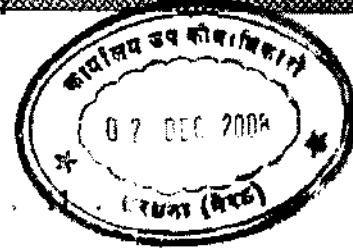
Suman Kumar

07/11/08





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



795999

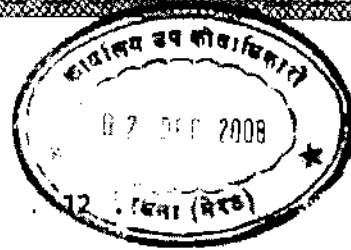
इन्द्रप्रकाश 21-बारह खम्बा रोड, नई दिल्ली, द्वारा
अधिकृत श्री राजेन्द्र शर्मा पुत्र श्री सी0बी0 शर्मा
निवासी गली नम्बर 2, शाद नगर, पालम कालोनी, नई
दिल्ली को विक्रय कर दिया और बेच डाला और समस्त
विक्रय मूल्य निम्नानुसार प्रथम पक्ष विक्रेतागण ने द्वितीय पक्ष
क्रेता से प्राप्त करके विक्रित भूमि को अपने अधिकार,
स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि से निकालकर क्रेता के

निष्पेश

S. K. Anand



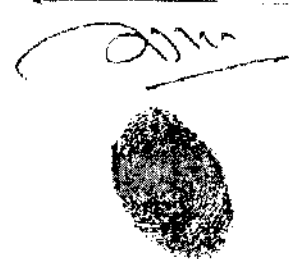
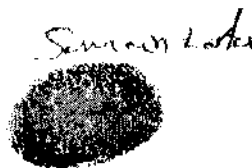
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



795398

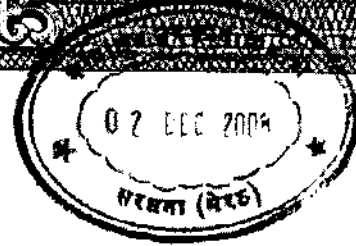
अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि में देकर उनको व्यक्तिगत स्वामी एवं वास्तविक अधिकारी बना दिया। अब प्रथम पक्ष विक्रेतागण का कोई अधिकार या स्वत्व विक्रित भूमि से सम्बन्धित भविष्य के लिये शेष नहीं रहा और न होगा। वास्तविक परिवर्तन कार्यान्वित हुआ। यह विक्रय पूर्णतया उचित वैधानिक एवं मान्य है तथा प्रयोग होने योग्य है। कब्जा विक्रित भूमि का स्थल पर कतई खाली का

निम्नलिखित





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



795397

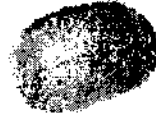
. 13 .

द्वितीय पक्ष क्रेता को प्रदान कर दिया है तथा क्रेता ने विक्रित भूमि का वास्तविक एवं भौतिक अधिपत्य स्थल पर प्राप्त कर लिया है। क्रेता उपरोक्त भूमि को अपनी इच्छानुसार प्रयोग में ला सकेंगे। किसी को कोई आपत्ति न होगी। क्रेता अपना नाम राजस्व अभिलेखों में बतौर स्वामी अंकित कराने के पूर्ण अधिकारी रहेंगे यदि इस हेतु प्रथम पक्ष विक्रेतागण की सहमति एवं रजामन्दी प्रस्तुत करने की

निष्पत्ति

Suman Lohi

01/11/04





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



538584

आवश्यकता होगी तो उसको प्रथम पक्ष विक्रेतागण समयानुसार
पूर्ण रूप से पाबन्द रहेंगे। कोई आपत्ति न होगी। यदि आज
की तिथि से पूर्व का कोई ड्यूज या लगान विक्रित भूमि पर
बकाया पाया जायेगा तो उसको चुकता करने का भार हम
विक्रेतागण के जिम्मे होगा और आज की तिथि के बाद
समस्त ड्यूज एवं लगान को स्वयं क्रेता वहन करेंगे। कोई
आपत्ति न होगी। यदि अब अथवा भविष्य में विक्रित भूमि

- निम्नलिखित

Sunil Kumar



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

15

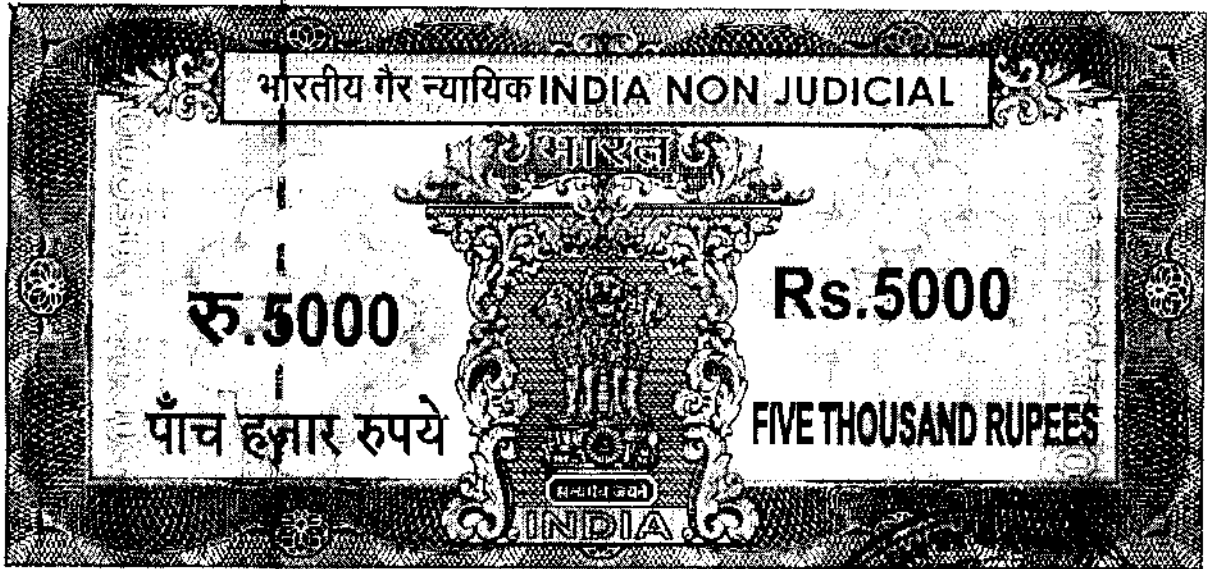
अथवा उसका कोई अंश क्रेता के अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि से निकल जायेगा या विक्रित भूमि पर कोई ऋण या भार आदि पाया जायेगा या तो ऐसी प्रत्येक वैधानिक दशा में क्रेता के विक्रय मूल्य अथवा उसका अंश जैसी स्थिति हो, मय हर्जा व खर्चा व भविष्य में लगाई लागत सहित वापिस चुकता करने का भार प्रथम पक्ष विक्रेता उक्त तथा उनके उत्तराधिकारी सहित उनकी चल व अचल

— निधारी —

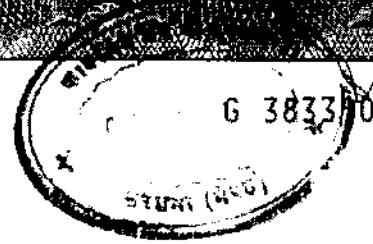


— Senapati —





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



16

सम्पत्ति समस्त प्रकार पर रहेगा। कोई आपत्ति न होगी।

अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया कि सनद हो और उचित समय पर काम आवे। इति।

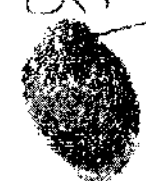
विक्रेतागण अनुसूचित जाति से नहीं हैं।

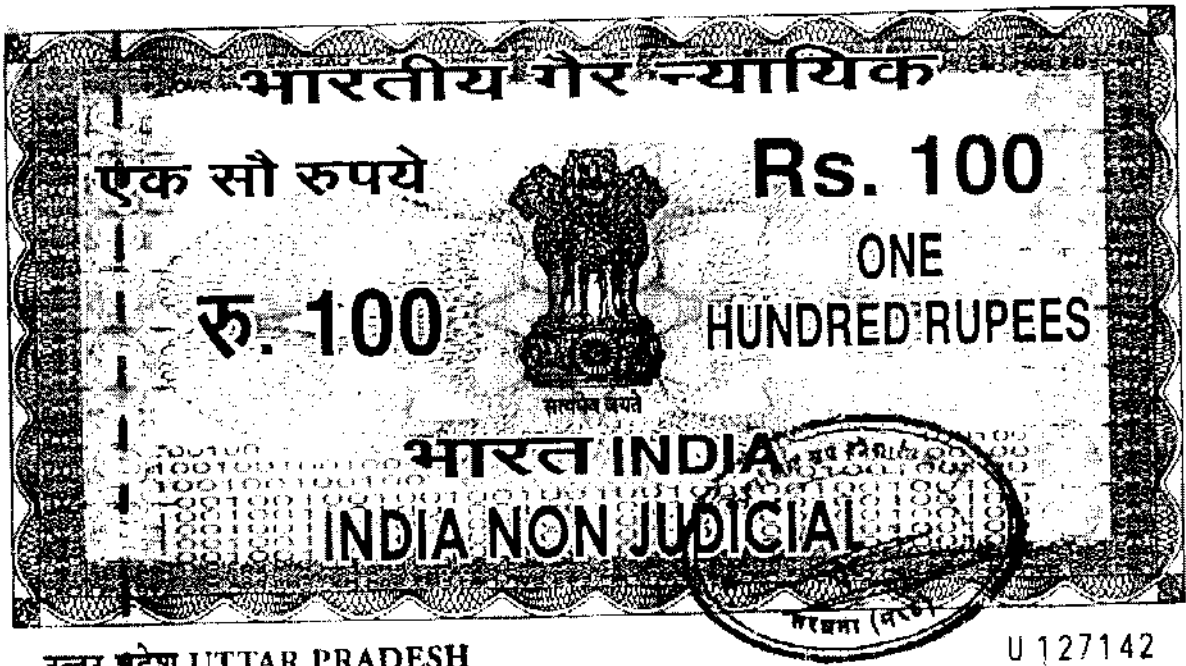
विक्रित भूमि में कोई बाग या पड़ व बोरिंग आदि नहीं है।

सिधलेश

Suman Lohar

अमर





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

U 127142

. 17 .

विवरण प्राप्ति विक्रय मूल्य:

अंकन 2,50,000/- रुपये बैंक नम्बर 560166 दिनांकित 28.11.2008

अंकन 21,67,128/- रुपये बैंक नम्बर 141394 दिनांकित 22.11.2008

अंकन 2,50,000/- रुपये बैंक नम्बर 560167 दिनांकित 28.11.2008

अंकन 21,67,128/- रुपये बैंक नम्बर 141395 दिनांकित 22.11.2008

एक्सिस बैंक शाखा नई दिल्ली

दिनांक 4.12.2008 (चार दिसम्बर सन दो हजार आठ ई०)

मसविदा: जिनेन्द्र कुमार जैन, एडवोकेट, सरधना जिला मेरठ

Jyoti Kumar Jain
ADVOCATE
MEERUT, BARDHANA (MEERUT)

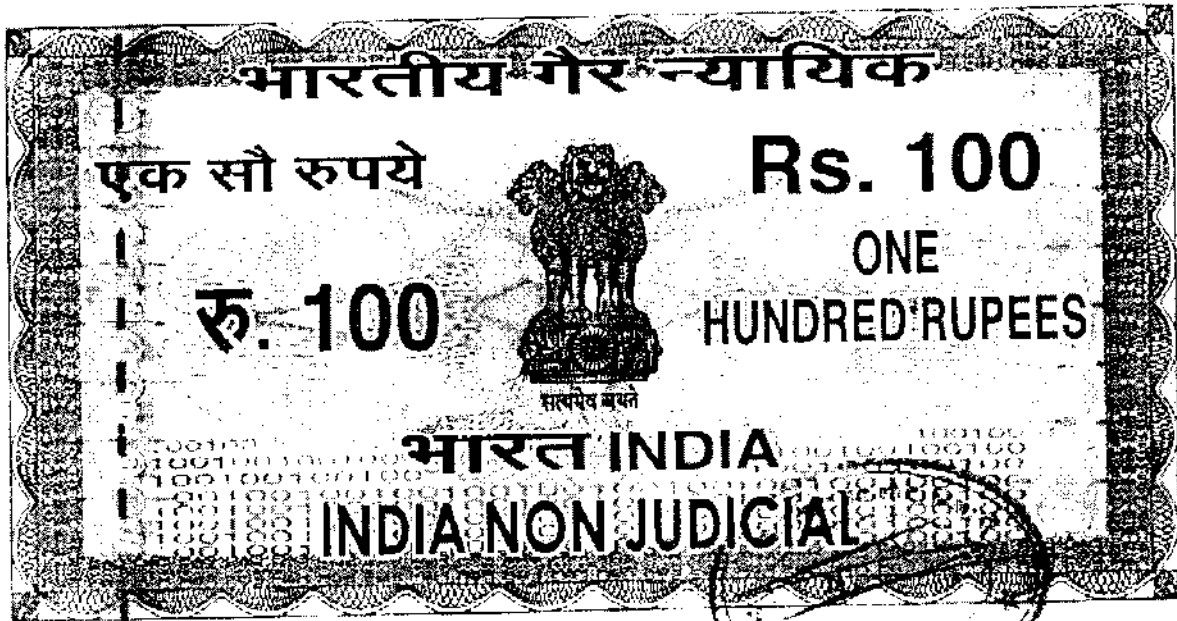
जिनेन्द्र

Suman Kumar

Jyoti Kumar Jain

17 Jyoti
10/12/08 12:00 PM
V125 Saradha Puri K-L MEERUT

Jyoti Kumar Jain
ADVOCATE
MEERUT, BARDHANA (MEERUT)

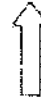


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

नजरी नक्शा (Not to be sealed)

उत्तर

अलग 200 मीटर



विक्रित भूमि की 200 मीटर की त्रिज्या में स्थित सम्पत्तियों का विवरण

- | | |
|---|---|
| 1. राष्ट्रीय राजमार्ग/जनपदीय मार्ग/लोक मार्ग/राकमार्ग | ✓ |
| 2. बाग/नर्सरी | ✓ |
| 3. आवासीय/वाणिज्यिक भूमि/भवन | ✓ |
| 4. शैक्षिक संस्थान/धर्मार्थ संस्थान/स्वास्थ्य केन्द्र | ✓ |
| 5. औद्योगिक संस्थान/कोल्ड स्टोरेज | ✓ |
| 6. गैस गोदाम/पेट्रोल पम्प/नलकूप | ✓ |
| 7. होटल/रेस्टोरेन्ट/मनोरंजन केन्द्र | ✓ |
| 8. सरकारी/अर्द्धसरकारी/निगमित कार्यालय | ✓ |
| 9. अन्य | |

घोषणा— किसी तथ्य को छिपाया नहीं गया है तथा गलत वर्णन आँकल नहीं किया गया है।
उपरोक्त सूचना क्षेत्र की सामान्य जानकारी पर आधारित है।

हस्ताक्षर विक्रेता

मिथुन

Suman Ladda

हस्ताक्षर क्रेता

Suman

30 4-10-88 - 50
 का प्रमाण प्राप्त 25 21/10/88
 कलकत्ता नगर, स्टाम्प विभाग
 नगर प्रशासन (कलकत्ता)



आका विभाग 21/10/88
 फिली नगर संख्या - 2107
 के एन 23/342 पर नगर संख्या -
 पर नगर संख्या - 23
 आका विभाग
 सहायक